

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-08/सं०(नि०)सु०परि०-01/2012/राँची, दिनांक :

आदेश

श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध रूपांकण प्रमण्डल सं०-02, आदित्यपुर, जमशेदपुर में पदस्थापन के दौरान बरती गयी अनियमितता के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-55 के तहत विभागीय संकल्प सं०- 196 दिनांक- 18.01.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री मण्डल से निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा किया गया -

- (i) निन्दन
- (ii) दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

3. उक्त द्वितीय कारण पृच्छा में प्रमाणित आरोपों यथा- अपने अधीनस्थ कर्मियों की अनुपस्थित पाये जाने पर बिना विभागीय कार्यवाही चलाये वृहत दण्ड देने, उनके अवकाश आवेदन को प्रथम द्रष्टव्या स्वीकृत करने के पश्चात् अस्वीकृत करने एवं दर्ज उपस्थिति को काट देने, बिना सक्षम उच्चाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के कर्मियों के वेतन से वसूली का आदेश देने तथा उन्हें अन्यत्र पदस्थापित करने संबंधी आरोपों पर श्री मंडल द्वारा प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा में ऐसा कोई नया/ठोस तथ्य तथा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार किया जा सके।

4. अतएव श्री मंडल द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए, चूँकि श्री मंडल दिनांक- 31.12.2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्तावित दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रभावी नहीं होगा, की स्थिति में निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :-

- (i) निन्दन
- (ii) एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतत् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

50/-

(रमेश कुमार दूबे)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 308/राँची, दिनांक 16/01/19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची/जिला कोषागार, राँची/सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ईचा-गालूडीह/कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल सं०-02, आदित्यपुर/श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल सं०-02, आदित्यपुर, जमशेदपुर सम्प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

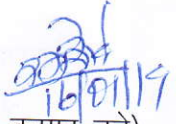
50/-

(रमेश कुमार दूबे)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 308 / राँची, दिनांक 16/01/19

प्रतिलिपि : उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव